(संलग्नक–1)

उत्तर प्रदेश सरकार सिंचाई अनुभाग–4

संख्या – 184/96–27–सिं.–4–3 डब्ल्यू/96
लखनऊ, दिनांक 5 फरवरी, 1996

कार्यालय–ज्ञाप

प्रदेश के सीमित जल संसाधन एवं बढ़ती हुई जनसंख्या की पेयजल, कृषि, विद्युत, शहरी एवं ग्राम विकास, औद्योगिक विकास तथा पर्यावरण इत्यादि की आवश्यकताओं को देखते हुये प्रदेश की सीमित जल सम्पदा का मितव्ययी ढंग से उपयोग अपरिहार्य हो गया है। फलतः सम्यक विचारोपरान्त शासन ने प्रदेश में विभिन्न श्रोतों से उपलब्ध जल का विभिन्न प्रयोजनों के लिये अनुकूलतम उपयोग हेतु नीति एवं कार्यक्रम निर्धारित करने तथा जल प्रबन्ध में लगे विभिन्न विभागों/संस्थाओं में समन्वय सुनिश्चित करने के उद्देश्य से "राज्य जल परिषद" की स्थापना का निर्णय लिया है।

(2.) उक्त राज्य जल परिषद के सदस्य निम्नवत होंगे :–

01.	मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन	अध्यक्ष
02.	अतिरिक्त मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड	सदस्य
03.	कृषि उत्पादन आयुक्त	सदस्य
04.	प्रमुख सचिव, सिंचाई	सदस्य
05.	प्रमुख सचिव, ऊर्जा	सदस्य
06.	प्रमुख सचिव, वित्त	सदस्य
07.	प्रमुख सचिव, नियोजन	सदस्य
08.	प्रमुख सचिव, उद्योग	सदस्य
09.	प्रमुख अभियंता, सिंचाई	सदस्य
10.	प्रबन्ध निदेशक, जल निगम	सदस्य
11.	निदेशक, भूगर्भ	सदस्य
12.	केन्द्रीय जल आयोग द्वारा मनोनीति सदस्य (मुख्य अभियंता स्तर से नीचे का न हो)	सदस्य

13. केन्द्रीय भूजल परिषद के मनोनीत सदस्य — सदस्य

14. प्रमुख अभियंता (परिकल्प एवं नियोजन) — सदस्य सचिव

(3.) **राज्य जल जल परिषद के कार्यक्षेत्र में मुख्यतः निम्नलिखित बिन्दु होंगे :–**

01. भारत सरकार द्वारा अपनाई गयी राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत प्रदेश की जल नीति का निर्धारण एवं क्रियान्वयन को सुनिश्चित करना।

02. राष्ट्रीय जल नीति के अन्तर्गत प्रदेश की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये विभिन्न मदों में जल सम्पदा के उपयोग की नीति निर्धारित करना तथा समस्त जल श्रोतों का एकीकृत नियोजन, प्रबन्धन एवं अनुश्रवण करना।

03. प्रदेश की समस्त नदियों, नालों, झीलों तथा भूगर्भ जल के उद्रण एवं इनमें निस्तारण पर नियंत्रण के लिये नीति निर्धारण करना।

04. प्रदेश के विभिन्न जल श्रोतों से विभिन्न प्रयोजनों के लिये उपयोग हेतु वरीयता एवं मात्राओं का निर्धारण करना।

05. प्रदेश के समस्त सतही एवं भूगर्भ जल सम्पदा के आंकड़ों को एकत्र कराना एवं इनका विश्लेषण करके आवश्यकतानुसार विभिन्न उपयोगों हेतु उपलब्ध कराना।

06. जल सम्पदा के लिये "प्रबन्ध सूचना प्रणाली" स्थापित करना।

07. जल प्रबन्धन से संबंधित विभागों/संस्थाओं में समन्वय सुनिश्चित करना।

(4.) "राज्य जल परिषद" अपनी कार्य प्रणाली तथा संगठनात्मक ढांचा स्वयं तय करेगी। परिषद को सचिवीय सहायता प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग द्वारा फिलहाल अपने कार्यालय में उपलब्ध संसाधनों से उपलब्ध करायी जायेगी।

माता प्रसाद
मुख्य सचिव

संख्या – 184 (1)/96–27–सिं.–4 तदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी।

02. अतिरिक्त मुख्य सचिव के स्टाफ अधिकारी।

03. कृषि उत्पादन आयुक्त।

04. प्रमुख सचिव, ऊर्जा।

05. प्रमुख सचिव, वित्त।
06. प्रमुख सचिव, उद्योग।
07. सचिव, नियोजन।
08. सचिव जल संसाधन मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली।
09. अध्यक्ष, केन्द्रीय जल आयोग, भारत सरकार, सेवा भवन, आ0के0 पुरम, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, केन्द्रीय भूजल परिषद, भारत सरकार।
11. प्रमुख अभियंता, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
12. प्रबन्ध निदेशक, जल निगम।
13. निदेशक, केन्द्रीय भूगर्भ जल परिषद, मोहित भवन, लखनऊ।
14. प्रमुख अभियंता, परिकल्प एवं शोध, सिंचाई विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
15. प्रमुख सचिव, सिंचाई के निजी सचिव।

आज्ञा से,

ह0/-

(आ0सी0 श्रीवास्तव)

सचिव